

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही विवरण

नम्बर
अहमद
हुकम
में

10 4/19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित । पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक प्राप्त है। बहस हेतु समय चाहते हैं मिसल वारते बहस दिनांक 15-4-19 को पेश हो।

15 4/19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित । बहस हेतु समय चाहते हैं मिसल वारते बहस दिनांक 18-4-19 को पेश हो।

R.T.S.
मुंडी
Jodan ki shaw
Jodan ki shaw

18 4/19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित
श्रीमान एज.डी.ओ.राज्य मुख्यालय से बाहर हैं
मिसल दिनांक 26-4-19 को पेश हो।

26 4/19

वकील पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव कार्य में व्यस्त हैं मिसल दिनांक 10-5-19 को पेश हो।

R.T.S.
मुंडी

10 5/19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित
श्रीमान एज.डी.ओ.राज्य मुख्यालय से बाहर हैं
मिसल दिनांक 2-5-19 को पेश हो।

16-4-19

23 4/19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.डी.ओ.राज्य अन्व प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं । मिसल वारते आइन्दा कार्यवाही दिनांक 28-5-19 को पेश हो।

28 5/19

वकुलाय फरीकेन उपस्थित । बहस उमर पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथा इस प्रकार से हैं कि वादीनी ने भटवाड घोषणात्मक, विभाजन व चिरस्पाई निषेधाज्ञा का इस आधार का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि खण्ड 365, 363 कुल ताकदी 11.01 बीघा रोही कांजण में वादीनी 1/2 हिस्सा की खोटेदार थी व प्रशासन गांवों के संग अभिमान में बिना सदसति के प्रतिवादीनी संख्या 1 ने अपने हिस्से में अधिक भूमि रखते हुए विभाजन करवा लिया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब

नम्बर
अहकाम
हुकम व
में जा

हुकम या कार्यवाही विवरण

नम्बर व तारीख
अहकाम की इस
हुकम की तामील
में जारी हुकम

तामा पेश
साम
के पेश हो।
प्रदत्त हो
हो।

दस्तावेज काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि वादीनी
ने अपने 1/2 हिस्सा में से 8 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वाती
भूमि सन 2001 में प्रतिवादीनी सं. 1 के मौखिक तौर पर
चिप कर दी जिसके अनुसार ही विभाजन सहमति से हुआ
है व सहमति से विभाजन के अनुसार ही एक की घोषणा
व निवेद्याना जारी की जावे। इस स्टेज पर वादीनी
व प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया
कि पूर्व के विभाजन के अनुसार ही पक्षकारान का हिस्सा
बदस्तूर रखते हुए प्रकरण का फैसला फरमाया जावे।
इस प्रकार से कोई राजप हित नही होना जाहिर किया।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीनी
मुताबिक राजीनामा खरिज किया जाता है व काउन्टर
क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 मौखिक तौर पर स्वीकार कर
विवदित भूमि की खारोदारी वर्तमान राजस्व रेकार्ड व
पूर्व के विभाजन के अनुसार बदस्तूर रहेगी। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। राजीनामा
निर्गम व डिक्ली का भाग रहेगा। पर्चा डिक्ली जारी हो।

मिसल फैसल शुमार हो का दाखिल दफ्तार हो।

उपस्रण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूक)

सी गई।
सम्बन्धित
दस्तावेज
जा का
मि खप
काजण
सन
प्रतिवादीनी
रेड्य
जवाब